



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा.07/2019/डी- 874

दिनांक:- 15-07-19

श्री सूरजमल चौधरी पुत्र श्री लादूराम चौधरी  
कुचावाली ढाणी, भांकरोटा, तह. सांगानेर, जयपुर।

विषय: खसरा नम्बर 1/2852, 3, 10/2, 10/3, 11, 12, 13, 13/1, 14/1, 14/2, 15/2 व 16/2 रकबा 1.3825 हैक्टैयर ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर पर प्रस्तुत आवासीय योजना रॉयल एगजोटिका के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त खसरा नम्बरों पर आवासीय योजना रॉयल एगजोटिका का संशोधित मानचित्र अनुमोदन पश्चात रिकार्ड शाखा से जारी किया जा चुका है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। सूचनार्थ

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

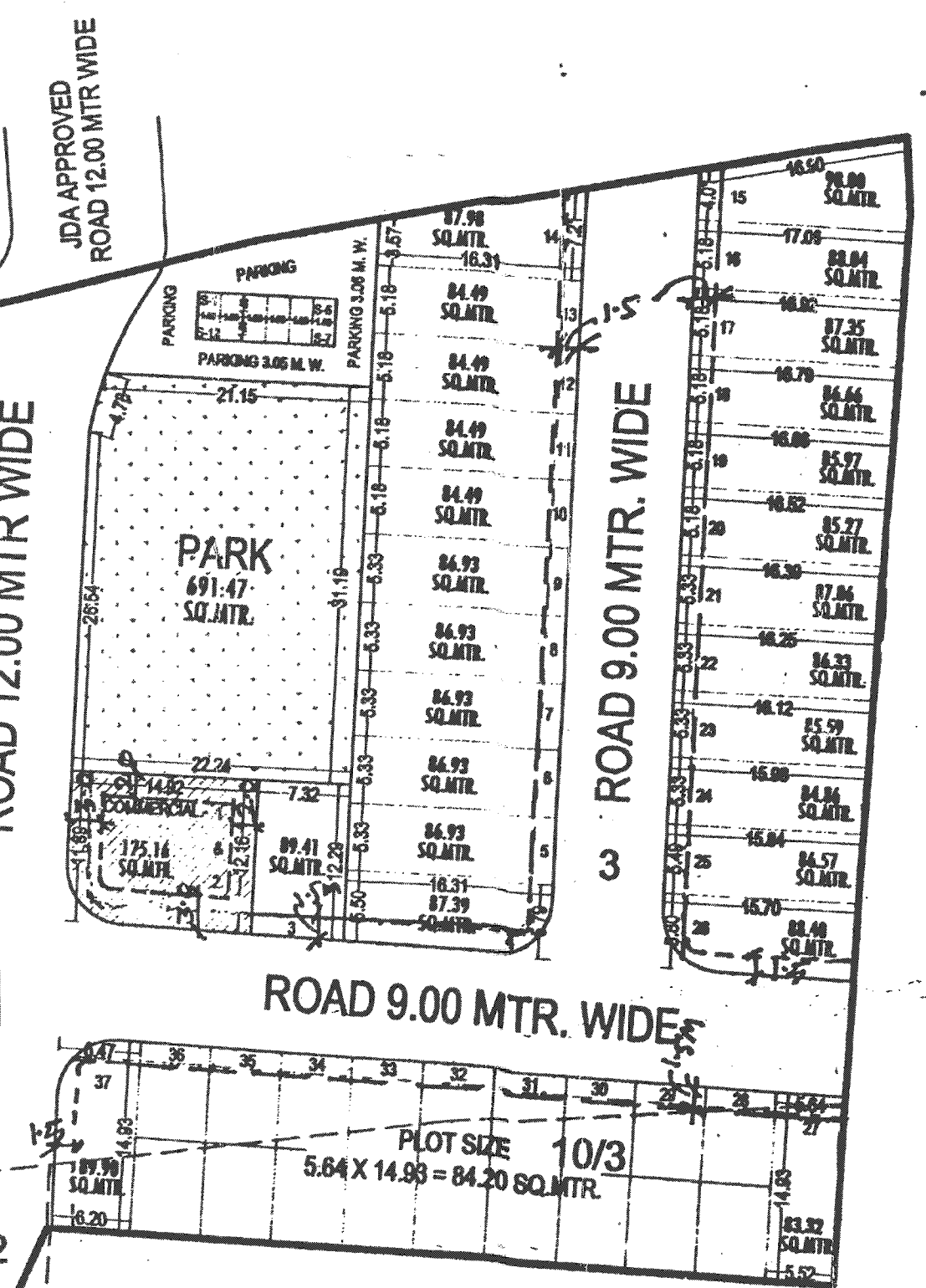
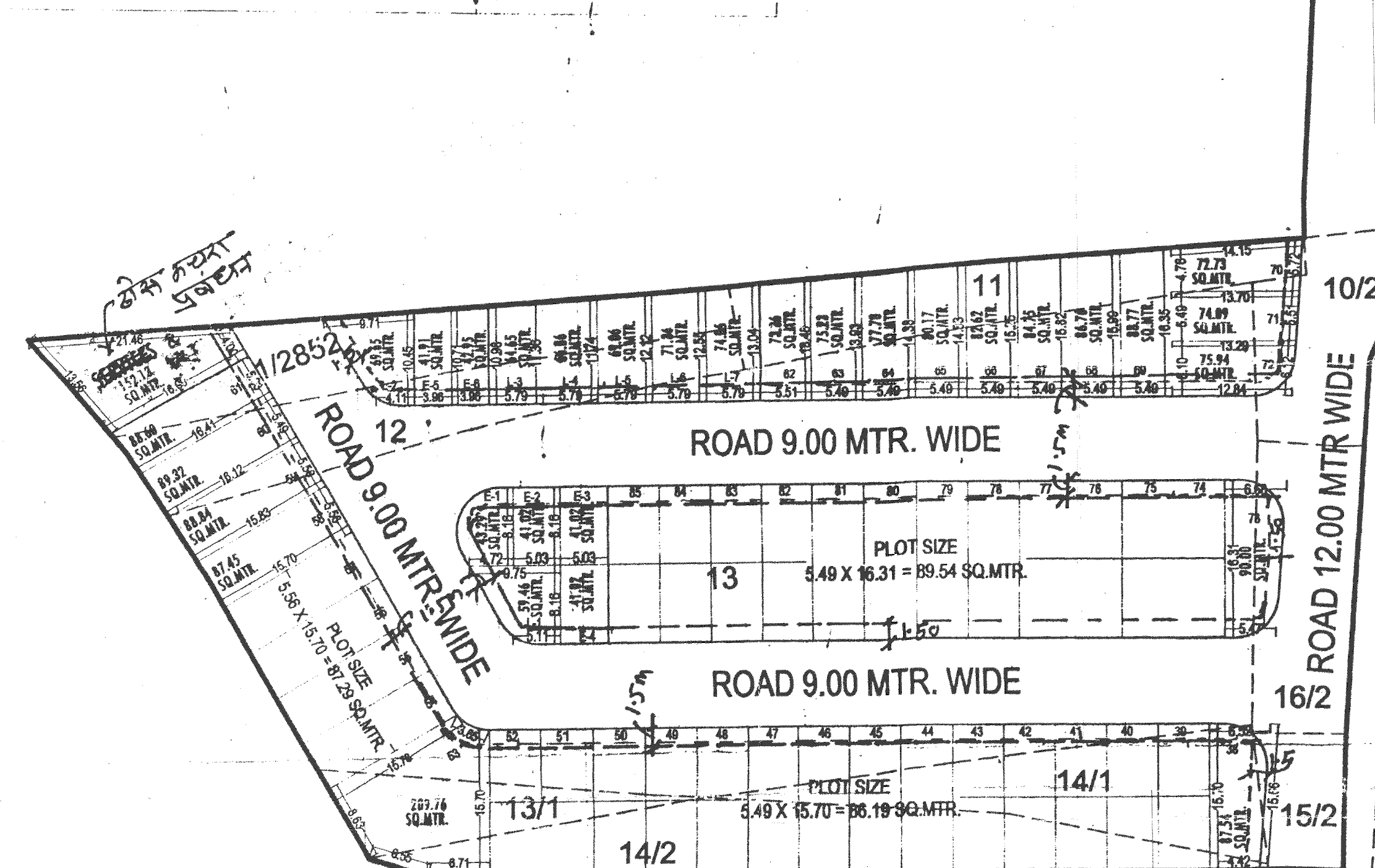
उपायुक्त जोन-7  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

# PROPOSED LAY OUT PLAN OF " ROYAL EXOTICA " AT VILLAGE - BHANKROTA, TEH.-SANGANER, DIST.- JAIPUR

- योजना की भूमि की धारा 90ए की कार्यवाही प्रकरण संख्या 55/2017 दिनांक 22.11.2017 को हो चुकी है। भूमि जमिंदार में निहित है।
- योजना मानचित्र का अनुमोदन पूर्व में पैरा 87/एन पर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 30.11.18 को किया गया था व संशोधित मानचित्र का अनुमोदन बी.पी.सी.-एल.पी. की बैठक संख्या 268 दिनांक 13.06.2019 में किया जा चुका है (पैरा 180/एन)। जिसकी अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया जा रहा है।
- योजना क्षेत्र का भू उपयोग मास्टर विकास योजना 2026 के अनुसार यू-1 क्षेत्र में आवासीय है।
- योजना क्षेत्र जोनल प्लान 11 बी के अन्तर्गत है। योजना का तकनीकी परीक्षण कर लिया गया है।
- टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार योजना क्षेत्र में आन्तरिक विकास कार्य के बेटे मुखण्ड संख्या 51, 58 से 67 कुल 11 मुखण्डों क्षेत्रफल 1036.94 व.मी. को रहन रखा गया है।
- एल.आई.जी. मुखण्ड संख्या एल-1 से एल-7 तक एवं ई.डब्ल्यू.एस. मुखण्ड ई-1 से ई-6 तक है।

तहसीलदार जोन-7  
सहायक नगर नियोजक जोन-7  
उपायुक्त जोन-7  
डी.पी./एस.टी.पी. बी.पी.सी.(एल.पी.)  
ए.सी.टी.पी. बी.पी.सी.(एल.पी.)

स्वतंत्र सुपर इम्पोजिबिलिटी  
30/5/19



LIG- 7 PLOT  
EWS- 6 PLOT  
TOTAL 13 PLOTS.

Solid Waste Management Site.

## J.D.A.

807  
Dt. 9/7/19

KHASRA MAP :-

आयुक्त महोदय को भूमि की धारा 90ए की कार्यवाही प्रकरण संख्या 55/2017 दिनांक 22.11.2017 को हो चुकी है। भूमि जमिंदार में निहित है।

योजना मानचित्र का अनुमोदन पूर्व में पैरा 87/एन पर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 30.11.18 को किया गया था व संशोधित मानचित्र का अनुमोदन बी.पी.सी.-एल.पी. की बैठक संख्या 268 दिनांक 13.06.2019 में किया जा चुका है (पैरा 180/एन)। जिसकी अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया जा रहा है।

योजना क्षेत्र का भू उपयोग मास्टर विकास योजना 2026 के अनुसार यू-1 क्षेत्र में आवासीय है।

योजना क्षेत्र जोनल प्लान 11 बी के अन्तर्गत है। योजना का तकनीकी परीक्षण कर लिया गया है।

टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार योजना क्षेत्र में आन्तरिक विकास कार्य के बेटे मुखण्ड संख्या 51, 58 से 67 कुल 11 मुखण्डों क्षेत्रफल 1036.94 व.मी. को रहन रखा गया है।

एल.आई.जी. मुखण्ड संख्या एल-1 से एल-7 तक एवं ई.डब्ल्यू.एस. मुखण्ड ई-1 से ई-6 तक है।

### AREA ANALYSIS :-

| S.No.           | LAND USED   | AREA IN (SQ.MTR.) | (%)      |
|-----------------|-------------|-------------------|----------|
| 1               | RESIDENTIAL | 7262.57           | 52.53 %  |
| 2               | EWS/LIG     | 726.30            | 05.25 %  |
| 3               | RETAIL      | 40.13             | 00.29 %  |
| 4               | COMMERCIAL  | 175.16            | 01.27 %  |
| TOTAL = 1+2+3+4 |             | 8204.16           | 59.34 %  |
| 5               | PARK        | 691.47            | 05.00 %  |
| 6               | SERVICES    | 152.13            | 01.10 %  |
| 7               | ROAD        | 4777.24           | 34.56 %  |
| TOTAL = 5+6+7   |             | 5620.84           | 40.66 %  |
| TOTAL AREA      |             | 13825.00          | 100.00 % |

योजना की भूमि की धारा 90ए की कार्यवाही प्रकरण संख्या 55/2017 दिनांक 22.11.2017 को हो चुकी है। भूमि जमिंदार में निहित है।

योजना मानचित्र का अनुमोदन पूर्व में पैरा 87/एन पर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 30.11.18 को किया गया था व संशोधित मानचित्र का अनुमोदन बी.पी.सी.-एल.पी. की बैठक संख्या 268 दिनांक 13.06.2019 में किया जा चुका है (पैरा 180/एन)। जिसकी अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया जा रहा है।

योजना क्षेत्र का भू उपयोग मास्टर विकास योजना 2026 के अनुसार यू-1 क्षेत्र में आवासीय है।

योजना क्षेत्र जोनल प्लान 11 बी के अन्तर्गत है। योजना का तकनीकी परीक्षण कर लिया गया है।

टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार योजना क्षेत्र में आन्तरिक विकास कार्य के बेटे मुखण्ड संख्या 51, 58 से 67 कुल 11 मुखण्डों क्षेत्रफल 1036.94 व.मी. को रहन रखा गया है।

एल.आई.जी. मुखण्ड संख्या एल-1 से एल-7 तक एवं ई.डब्ल्यू.एस. मुखण्ड ई-1 से ई-6 तक है।

SCHEME NAME :-

"ROYAL EXOTICA"

AT VILLAGE - BHANKROTA, TEH.-SANGANER, DIST.- JAIPUR

ZONE NO. - M-7

SCALE - 1:500

| A.T.P. | D.T.P. | S.T.P. |
|--------|--------|--------|
|        |        |        |

Consultant :-

Cadmax Consultancy (P) Ltd.  
A Complete Survey Studio  
Jaipur Development Authority  
JAIPUR

CAD MAX CONSULTANCY PVT. LTD.  
301-302, Prime Tower,  
Opp. Rajasthan Police Head Quarter,  
Kothi Scheme, Jaipur  
Ph.: 0141-4113111

Assistant Town Planner  
Zone-7  
Jaipur Development Authority  
JAIPUR